वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 18.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 18.08.2024

बनारस कोठी और रिवर पैलेस 15 दिन में तोड़ने का नोटिस

छावनी क्षेत्र स्थित होटल रिवर पैलेस व बनारस कोठी होटल। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, वाराणसी : छावनी स्थित बुद्ध विहार कालोनी के होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस को क्षतिग्रस्त करने के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। दोनों होटल को पूरी तरह से तोड़ने के लिए वीडीए ने होटल संचालक को फिर चेतावनी नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण तोड़ने को कहा है। अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर वीडीए खुद कार्रवाई करने के साथ आने वाला खर्च वसूलेगा। वहीं, वीडीए दोनों होटल को तोड़ने के लिए एजेंसी तय कर रही है।

बुद्ध विहार कालोनी में अवैध तरीके से बने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए 27 जुलाई को विकास प्राधिकरण की टीम के साथ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। दोनों होटलों के करीब 90 कमरे को क्षतिग्रस्त करने के साथ सील कर दिया था। साथ ही होटल संचालक को खुद होटल तोड़ने को कहा था लेकिन 15 दिन से अधिक समय बीतने पर वीडीए ने रिमाइंडर नोटिस भेजा है। 15 दिन के अंदर दोनों अवैध होटल नहीं तोड़ने पर वीडीए कार्रवाई करने को विवश होगा।

> होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस क्षतिग्रस्त करने के साथ सील कर दिया गया है। होटल संचालक को अपने स्तर से 15 दिन में होटल तोड़ने को कहा गया था। रिमाइंडर नोटिस भेजा गया है। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर वीडीए खुद कार्रवाई करेगा।
> -पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 18.08.2024

अवैध निर्माण को वैध करने की जांच करेंगे अपर आयुक्त प्रशासन

मंसाराम में अवैध अपार्टमेंट पर अपर मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

जेपी पांडेय • जागरण

वाराणसी: चेतगंज वार्ड के मंसाराम मोहल्ले में अवैध तरीके से बने छह मंजिला अपार्टमेंट से गिरकर सिपाही के पुत्र अभिनव की मौत के मामले में अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने जांच बैठा दी है। उन्होंने अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नामित करते हुए एक माह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। तत्कालीन जोनल अधिकारी चंद्रभानु और अवर अभियंता सुरेंद्र यादव ने अवैध अपार्टमेंट को वैध बनाने के लिए साजिश रचते हुए एक मानचित्र पास किया था जो स्वीकृत नहीं हो सकता है। वीडीए की जांच रिपोर्ट पर शासन ने कार्रवाई करने से पहले प्रशासनिक जांच बैठाई है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जांच में पाया था कि तत्कालीन जोनल अधिकारी चंद्रभानु और अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव ने अवैध निर्माण को गलत तरीके से शमन शुल्क कर वैध सिद्ध करने की साजिश रची जबकि रोड बैंडिंग और सेट कवर, अतिरिक्त तल बने थे। अपार्टमेंट का एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत कर दिया।

जोनल और जेई ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भवन स्वामी उत्कर्ष मौर्या और बिल्डर नूर आलम को बचाने का प्रयास किया। जोनल अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि जेई अयोध्या विकास प्राधिकरण में तैनात हैं। शमन मानचित्र निरस्त करते हुए वीडीए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करता है।

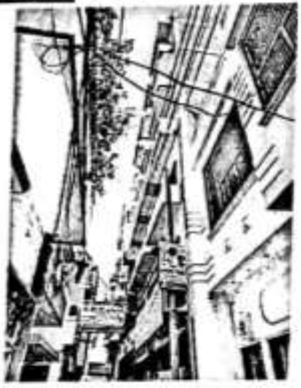

चेतगंज वार्ड के मंसाराम मुहल्ले में बना अवैध अपार्टमेंट • जागरण

- वीडीए प्रशासन की ओर से कराई गई थी जांच, अब प्रशासनिक स्तर पर जांच
- शमन मानचित्र निरस्त कर वीडीए ने पारित किया है ध्वस्तीकरण का आदेश

विशेष सचिव ने वीडीए से मांगी थी जांच रिपोर्ट

27 फरवरी को विशेष सचिव ने वीडीए को पत्र जारी कर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। यह भी पूछा था कि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेजें।

संयुक्त सचिव ने जांच में पाया था दोषी

जांच अधिकारी व संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने पत्रावलियों और स्थलीय निरीक्षण करने के साथ सैटेलाइट फोटोग्राफी से भी अलग-अलग तिथियों में भवन को देखा। चेतगंज वार्ड में अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव की तैनाती 18 अगस्त-2020 से 16 सितंबर-2021 तक रही। जोनल अधिकारी चंद्रभानु 31 मई-2021 से 23 जून-2022 एवं 13 सितंबर-2023 से 13 मार्च-2024 तक तैनात रहे। इस दौरान शमन मानचित्र की गलत गणना की। जांच में जेई और जोनल अधिकारी दोषी मिले।

“तत्कालीन जोनल अधिकारी चंद्रभानु और अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव ने अवैध निर्माण पर गलत शमन मानचित्र स्वीकृत किया। अवैध निर्माण को वैध करने की साजिश रची। अपर मुख्य सचिव ने अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नामित किया है।

-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

हिन्दुस्तान–दि0 18.08.2024

वीडीए ने ध्वस्त की अवैध प्लाटिंग

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगवां वार्ड स्थित गैस गोदाम के पीछे लगभग 2 बीघा अवैध प्लाटिंग हो रही थी। जिसे ध्वस्त किया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता ने बताया कि चोलापुर के सथवा में 2.5 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 18.08.2024

वीडीए ने दो प्लॉटिंग कराया ध्वस्त

वाराणसी। अवैध प्लाटिंग को लेकर इन दिनों वीडीए काफी सख्त है। अभियान चलाकर जहां जांच कर रही है ,वहीं ऐसे जगहो पर पहुंच कर ध्वस्तीकरण की जबरदस्त कारवाई भी कर रही है। इसको लेकर विभाग की प्रर्वतन टीम लावलश्कर के साथ शहर के दो जगहो पर पहुंचा। जहां अवैध निर्माण पर रोक लगाई और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की । इस दौरान टीम पहले नगवा वार्ड में जा धमकी । जहां विकसित हो रहे02 बीघा प्लाटिंग को देखा और उसकी जानकारी ली। इस दौरान टीम ने बिना नक्शा पास कराये ही अवैध प्लाटिंग किये जाने पर ध्वस्तीकरण की सख्त कारवाई किया। इस दौरान भारी फोर्स खड़ी रही और लोगो की भीड़ भी लग गयी ।

इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश कुमार सिंह, प्रवर्तन दल आदि उपस्थित रहे इसी क्रम में विभाग की दूसरी टीम सारनाथ वार्ड में पहुंचा। जहां सथवा में प्रदीप पटेल द्वारा 2.5 बीघा जमीन पर अवैध हो रहे प्लाटिंग के निर्माण का बखूबी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रर्वतन टीम ने निर्माणकर्त्ता से इस बारे में पूछताछ की और इसे रोके जाने का निर्देश देते हुए इसे ध्वस्त कर दिया ।

इस अवसर पर जोनल अधिारी संजीव कुमार,अवर अभियंता जयप्रकाश गुप्ता,सहित प्रर्वतन टीम और पुलिस के जवान उपस्थित थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 18.08.2024

डिवाइन सैनिक स्कूल व संत साईं शिक्षण संस्थान स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वी0डी0ए0 उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया । जिसके क्रम में 17 अगस्त को डिवाइन सैनिक स्कूल व संत साईं शिक्षण संस्थान स्कूल में शहरीय विकास को ध्यान में रखते हुए चित्रकला प्रतियोगिता व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।उक्त चित्रकला प्रतियोगिता में डिवाइन सैनिक स्कूल से सुरभि सिंह प्रथम स्थान , प्रियल वर्मा द्वितीय स्थान तथा अनन्या राय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ट इसी क्रम में निबंध प्रतियोगिता में संत साईं शिक्षण संस्थान स्कूल से अभय कुमार बिंद प्रथम स्थान, अर्पित द्वितीय स्थान व अंशुमान पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ट वी0डी0ए0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ङप्रथम स्थान को प्रमाण पत्र, स्मार्ट वाच व शील्ड , द्वितीय स्थान को प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रिक लैंप व शील्ड तथा तृतीय स्थान को प्रमाण पत्र, स्कूल बैग व शील्ड से पुरस्कृत किया गया तथा अन्य प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया तङ अन्य बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग व सराहनीय प्रदर्शन किया ट बच्चों को प्राधिकरण के विकास कार्यो के बारे में भी अवगत कराया गया तथा किसी भी निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा पास कराना कितना आवश्यक है इस बारे में भी जानकारी दी गयी ।प्रतियोगिता के दौरान वी0 डी0 ए0 से पी0आर0ओ0 पियूष श्रीवास्तव ,पी0 आर0 ई0 सुष्मिता शर्मा व रश्मि श्रीवास्तव उपस्थित रहें।

न्यायाधीश—दि0 18.08.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-नगवा के अन्तर्गत श्री डब्बू सिंह द्वारा मौजा-खैरा/ इंद्राणी गोदाम के पीछे जिला-वाराणसी में लगभग 02 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज 17/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार सिंह, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।